न्यायालय न्याय निर्णयन अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली

पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

विविध प्रकरण संख्या : 55 / 2024

GCMS No. : 2024/324

प्रार्थीः—	**बनाम**	**अप्रार्थीगण :—**
जरिये सरकार भुराराम गोदारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी पाली		1. शरद ओझा पुत्र आत्माराम जाति ओझा निवासी एडी 45 शिवाजी नगर पाली मैसर्स वंशिका ट्रेडर्स एडी 45 शिवाजी नगर पाली (फर्म मैनेजर) 2. वंशिका पुत्री शरद ओझा जाति ओझा निवासी एडी 45 शिवाजी नगर पाली मैसर्स वंशिका ट्रेडर्स एडी 45 शिवाजी नगर पाली (फर्म मालिक)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26 (2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 विनियम 2011 एवं धारा 51

उपस्थित :—

1. खाद्य सुरक्षा अधिकारी उपस्थित
2. अप्रार्थी उपस्थित।

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट पाली (राजस्थान)

—: निर्णय :—

दिनांक : 22/10/24

प्रार्थी ने यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के तहत अप्रार्थीगण के विरूद्ध प्रस्तुत किया। प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। वक्त बहस अप्रार्थी संख्या 01 ने न्यायालय में उपस्थित होकर अप्रार्थीगण की ओर से लिखित जवाब पेश किया। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी एवं अप्रार्थी की बहस सुनी गई।

प्रार्थी ने अपनी बहस में प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दौहराते हुए कथन किया कि प्रार्थी वर्तमान में खाद्य सुरक्षा अधिकारी के पद पर कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, पाली में पदस्थापित है। प्रार्थी दिनांक 24.01.2024 को दौराने गश्त अप्रार्थीगण की फर्म मैसर्स वंशिका ट्रेडर्स एडी 45 शिवाजी नगर पाली पर पहुंचा व अपना परिचय देकर परिचय पत्र दिखाया। अप्रार्थी संख्या 01 से नाम पता पुछने पर अपना नाम शरद ओझा बताया एवं स्वंय को फर्म का मैनेजर होना बताया। फर्म के

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

निरीक्षण के दौरान एक पिपे में लगभग 5 किलो घी खुला रखा पाया गया जिसे अप्रार्थी संख्या 01 आमजन को मिठाई बनाने के विक्रय हेतु उपयोग में ले रहा था। जिसमें मिलावट का शक होने पर रूबरू गवाहान के सामने घी का नमुना लेने कि इच्छा जाहिर की जिसके लिए मेने दो प्रतियों में प्रपत्र 5 ए भरकर दिया जिसकी एक प्रति पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर करवा कर रसीद प्राप्त की। स्वतंत्र गवाह नही होने कि स्थिति में मेरे साथ आये आन्नद कुमार, खाद्य सुरक्षा अधिकारी, कार्यालय हाजा को गवाह बनाया गया एवं अप्रार्थी को बता दिया की घी का नमुना वास्ते एफएसएसए एक्ट के तहत जाचं हेतु ले रहा हुं। प्रार्थी ने गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थिति में 800 ग्राम घी वास्ते जांच हेतु क्रय कर उसकी कीमत 400/– रूपये नकद अप्रार्थी को देकर रसीद प्राप्त की, जिस पर अप्रार्थी संख्या 01, गवाह एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर है। अप्रार्थी से खरीदशुदा घी को साफ सुखे चार सुटेबल कंटेनर में नियमानुसार पैक कर गवाहान एवं अप्रार्थी की उपस्थित में चार लेबल तैयार किये, जिस पर अप्रार्थी, गवाहान एवं प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग पाली का कोड एवं सिरियल नम्बर आर–2219 लिखा एंव नमुना विवरण अंकित किया गया। चारों नमुनों को नियमानुसार सिलबंद कर अपने जाब्ते में लिया एंव मौके पर समस्त कार्यवाही कर मौका फर्द तैयार कि एवं अप्रार्थी व गवाहान को पढ़कर सुनाकर हस्ताक्षर करने को कहा जिन्होने स्वयं ने भी पढ़कर सुनकर एवं सही मानकर हस्ताक्षर किये व स्वयं प्रार्थी ने भी हस्ताक्षर किये। प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने फार्म–6 की प्रतिया तैयार की तथा प्रत्येक पर नमुना सील लगाई, नमुना पैकेट मय फार्म नम्बर 6 की प्रति सीलमुहर करके नमुने को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर में जमा करवाकर रसीद प्राप्त की। अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी का नमुना संख्या आर–2219 के संबध में खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर से प्राप्त रिपोर्ट संख्या एलएस/104/एक्ट/2024/150 दिनांक 06.02.2024 के अनुसार Sub-standard (अवमानक) पाया गया। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) का विक्रय कर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2) का उल्लंघन किया है, जिसके लिये अप्रार्थीगण दोषी है। अतः प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे एवं अप्रार्थीगण पर भारी से भारी जुर्माना अधिरोपित किया जावे।

अप्रार्थी संख्या 01 ने वक्त बहस न्यायालय में उपस्थित होकर लिखित जवाब पेश कर निवेदन किया कि उक्त फर्म से नगर परिषद्, पाली द्वारा 26 जनवरी 2024 पर चाही गई मात्रा में बूंदी के लड्डू बनाने के लिए सामान बाजार से खरीद कर तैयार किया गये है। जिसमें अप्रार्थीगण की फर्म द्वारा किसी प्रकार कि मिलावट नहीं कि जाती है तथा लड्डू तैयार करते समय पुर्णतः सावधानी बरती जाती है एवं भविष्य

अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)

में भी सावधानी बरती जावेगी। अतः अप्रार्थीगण पर कम से कम जुर्माना राशि लगाकर प्रकरण निस्तारित करावें।

उभयपक्ष की श्रवणसुदा बहस पर मनन करते हुये पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का अवलोकन किया। पत्रावली पर उपलब्ध मौका फर्द अनुसार प्रार्थी द्वारा दिनांक 24.01.2024 को अप्रार्थीगण की फर्म से लिया गया सैम्पल घी (खुला) वास्ते जांच हेतु क्रय कर नियमानुसार नमूना कोड एवं क्रम संख्या आर–2219 अंकित कर सीलबन्द किया गया। पत्रावली में सलंग्न प्रपत्र संख्या 5ए के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रपत्र 5ए में नमुने के संबंध में समस्त जानकारी यथा कोड नम्बर, नमुने का विवरण, अप्रार्थी का नाम, प्रार्थी के हस्ताक्षर एवं गवाह के हस्ताक्षर किये हुए है। अप्रार्थी की फर्म से वास्ते जांच लिये गये घी (खुला) का नमुना कोड संख्या आर–2219 को खाद्य विश्लेषक जन स्वास्थ्य प्रयोगशाला जोधपुर भिजवाया गया। जहां से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार अप्रार्थी की फर्म से लिया गया घी (खुला) का नमुना Sub-standard (अवमानक) पाया गया जिसका अप्रार्थीगण द्वारा लड्डू बनाने में उपयोग किये जाने से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 व नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2(2)(2) के प्रावधानों उल्लघंन है तथा धारा 51 के तहत शास्ति योग्य हैं।

परिणामस्वरूप प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 26(2)(2) के तहत स्वीकार किया जाता है तथा अप्रार्थी द्वारा Sub-standard (अवमानक) घी (खुला) का उपयोग करने के कारण इसी अधिनियम की धारा 51 के तहत अप्रार्थीगण पर 15,000/– अक्षरे पन्द्रह हजार रूपये की शास्ति आरोपित की जाती है, साथ ही अप्रार्थीगण को निर्देश दिये जाते है कि वे उक्त राशि राज्य सरकार द्वारा निर्धारित मद "0210–चिकित्सा एवं लोक स्वास्थ्य, 04–लोक स्वास्थ्य, 800 अन्य प्राप्तियां, (03) खाद्य सुरक्षा कानून के अन्तर्गत अनुज्ञापत्र शुल्क आदि" में जमा करवा कर चालान की प्रति इस न्यायालय में प्रस्तुत करें। इस निर्णय की प्रतिलिपि अप्रार्थी एवं प्रार्थी को वास्ते पालनार्थ भिजवाई जावे। बाद पालना पत्रावली फैसल में शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 22/10/2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ बजरंग सिंह)
न्याय निर्णयन अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट, पाली
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट
पाली (राज.)